तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 05/2020(जी.सी.एम.एस. नंबर 2020/00002) बअनवान बालकंवर व अन्य बनाम मंगसिंह इत्यादि इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

बाल कंवर व अन्य

बनाम

मगसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री पारस सोनी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व तीन
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

आदेश

दिनांक 15.01.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2018 अनवान बाल कंवर व अन्य बनाम मगसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 दिसंबर 2019 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 07 जनवरी 2020 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी के खरीदसुदा अथवा पुश्तैनी होने के तथ्य का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में तय होना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण भूमि के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न कर केवल रेस्पो संख्या एक के हिस्से की भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जो विधिविरुद्ध है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 दिसंबर 2019 को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 05/2020(जी.सी.एम.एस. नंबर 2020/00002) बअनवान बालकंवर व अन्य बनाम मंगसिंह इत्यादि इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

यथास्थिति का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया वादीगण/अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. के पुश्तैनी हिस्से संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 301/1 रकबा 73 बीघा, खसरा नं. 297 रकबा 126.14 बीघा में रेस्पोडेंट संख्या एक के हिस्से की पुश्तैनी भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा खरीदसुदा भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया है। अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश संतुलित एवं विधिसम्मत पाये जाने से उसमें हस्तेक्ष किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2018 अनवान बाल कंवर व अन्य बनाम मगसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 दिसंबर 2019 यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर